प्रेस नोट दिनांक 08.06.2024 जनपद संतकबीरनगर

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3304 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3304 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बनियाबारी से इवेन्ट संख्या 41806 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों (01. **शिवशंकर पुत्र डेफरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 02. गुडडू पुत्र रामखेताहू निवासी नौरगिंया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
***पीआरवी स्टाफ-* आ0 विनोद यादव , हो0चा0 शिवदास।**

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 65 वाहनों से 89,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.06.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 65 वाहनों से 89,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

प्रेस नोट   दिनांक 08.06.2024   जनपद संतकबीरनगर

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता को किया गया बरामद

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 172/2024 धारा 363/366 भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त रियाज पुत्र अब्दुल करीम साकिन सुपा थाना बखिरा जनपद सन्त कबीर नगर को मुखबीर के सुचना मिलने पर पुलिस टीम द्वारा बालुसासन में पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 22.05.2024 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 08.06.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 वीर बहादुर यादव, का0 हिमांशु मिश्रा, , म0का0 नेहा सिंह।